भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †1738

दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए

महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

†1738.श्री सौमित्र खानः

श्री अनुराग शर्माः

श्रीमती डी. के. अरुणाः

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्चक्रण के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन सहित राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की विशेषताओं, उद्देश्यों, वित्तीय व्यय तथा वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत अब तक स्वीकृत या चयनित कंपनियों की, प्रस्तावित रिसाइक्लिंग क्षमता, अनुमानित निवेश और रोजगार सृजन संख्या का राज्य-वार विशेषकर पश्चिम बंगाल में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में अब तक हुई प्रगति के साथ-साथ आवेदनों के प्रसंस्करण, परियोजनाओं की मंजूरी तथा प्रोत्साहन को जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्ट-अपों तथा प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने, महत्वपूर्ण खनिज पर आयात निर्भरता को कम करने तथा भारत के स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गतिशीलता और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) से (ग): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण के लिए ₹ 1,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम दिनांक 02.10.2025 को शुरू की गई थी। यह स्कीम महत्वपूर्ण खनिजों में आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए ई-अपशिष्ट, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरियों (एलआईबी) और अन्य स्क्रैप जैसे द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए पुनर्चक्रण क्षमता के निर्माण को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों में संयंत्र और मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं पर पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) सब्सिडी के साथ-साथ विनिर्दिष्ट वृद्धिशील बिक्री सीमा की उपलब्धि पर प्रचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी शामिल है। यह स्कीम पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में लागू है।

इस स्कीम के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 01.04.2026 थी। प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को प्रक्रियाबद्ध किया जा चुका है और 270 केटीपीए की लक्ष्य क्षमता की तुलना में प्रति वर्ष लगभग 850 किलो टन (केटीपीए) की प्रतिभूत क्षमता वाली 58 पुनर्चक्रण इकाइयों को पात्र घोषित किया गया है। इस स्कीम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन राशि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से जुड़ी हुई है। पात्र संस्थाओं की राज्य-वार संख्या उनकी प्रतिभूत पुनर्चक्रण क्षमता और निवेश का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ): यह स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप सहित छोटे पुनर्चक्रणकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, जिससे न्यूनतम सीमा क्षमता और निवेश की कम आवश्यकता के साथ-साथ उनके लिए आवेदन शुल्क में कमी की गई है।

(ङ): सरकार ने घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण के लिए ₹ 1,500 करोड़ की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत की है, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है।

इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता को कम करने और भारत के स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 में वर्ष 2023 में संशोधन किया है, ताकि केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों से संबंधित खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने का अधिकार दिया जा सके और अब तक 56 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

इसके अलावा, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2025 ने राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास (एनएमईडीटी) के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है, ताकि भारत के भीतर अपतट क्षेत्रों सहित और भारत के बाहर खनिजों के गवेषण और विकास को सुगम बनाया जा सके। एनएमईडीटी ने भारतीय संस्थाओं को विदेशी क्षेत्राधिकारों में, महत्वपूर्ण खनिज संपदाओं का

पता लगाने और उन्हें वित्तपोषित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि दीर्घकालिक खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के साथ आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। इसके साथ ही अपतट क्षेत्रों में भी गवेषण कार्य किया जा सके।

अनुलग्नक

'महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना' के संबंध में दिनांक 29.07.2026 को उत्तर देने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. Ⱡ1738 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की सं.	प्रतिभूत क्षमता (केटीपीए)	प्रतिभूत निवेश (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	5	81.0	1308.7
छत्तीसगढ़	1	5.0	27.0
गोवा	1	10.5	27.5
गुजरात	6	104.0	718.3
हरियाणा	5	43.5	228.1
जम्मू और कश्मीर	1	5.0	25.1
कर्नाटक	5	31.1	404.3
मध्य प्रदेश	4	36.0	377.8
महाराष्ट्र	10	71.9	607.3
राजस्थान	2	16.0	54.6
तमिलनाडु	3	26.0	234.9
तेलंगाना	3	37.2	182.6
उत्तर प्रदेश	8	205.5	680.7
उत्तराखंड	3	180.4	330.9
पश्चिम बंगाल	1	5.0	53.5
कुल योग	58	858	5261